चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). सड़क सुरक्षा यातायात निदेशालय लखनऊ के आदेश के क्रम में 30 दिवसीय यातायात प्रशिक्षण कोर्स (नागरिक पुलिस) का शुभारम्भ दिनाँक 05.10.2025 को पुलिस लाइन चित्रकूट में हुआ था जिसमें 01 निरीक्षक,02 उपनिरीक्षक, 14 मुख्य आरक्षी ,33 आरक्षी कुल 50 पुलिस पुलिस कर्मियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । आज दिनांक 06.11.2025 को पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट द्वारा पुलिस लाइन में चल रहे 30 दिवसीय यातायात प्रशिक्षण कोर्स (नागरिक पुलिस) का समापन किया गया। प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये एवं प्रशिक्षक टीएसआई श्री आलोक कुमार वरुण, मुख्य आरक्षी यातायात हवलदार सरोज,मुख्य आरक्षी यातायात विष्णुकान्त शर्मा,पीटीआई आरक्षी चन्द्रप्रकाश को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क सुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें यातायात नियमों, आधुनिक तकनीकों एवं जनजागरूकता संबंधी विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अवसर पर अपर पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव ,पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहें

(3). लिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर जमीन रजिस्ट्री कराने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त का नाम-
गजेन्द्र गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी हिन्दुपुरा करछना थाना करछना जनपद प्रयागराज
गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-
ग्राम छिवलहा संकटमोचन ढाबा के पास,05.11.025, 22.40 बजे
संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 01.03.025 को वादी इम्तियाज अहमद सिद्दिकी पुत्र इशितयाक अहमद निवासी अमरोहा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि वह अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री मैहर म0प्र0 मे जनरल मैनेजर प्रोडेक्शन के पद पर कार्यरत है,ग्राम कल्चिहा तहसील मऊ जनपद चित्रकूट मे भूमि अपनी माँ के नाम क्रय किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके जायज वारिश 1. इफ्तेखार अहमद 2. इम्तियाज अहमद सिद्दिकी 3.इन्तिजार अहमद 4. शाहिन परवीन पत्नी स्व0 इरफान अहमद के नाम वरासत हुआ। जिसमे दिनांक 27.12.24 को उक्त भूमि का 1/4 भाग उनका है, को क्रेता चन्द्रजीत यादव पुत्र मोहनलाल यादव निवासी दौलतपुर छिवैया थाना झुंसी जनपद प्रयागराज व गवाह 1.जयप्रकाश मिश्र पुत्र स्व० लोदई उर्फ इन्द्रजीत मिश्र निवासी असवां आसवान थाना रामपुर जनपद जौनपुर 2.गवाह अनिल कुमार निषाद पुत्र पवन कुमार निषाद निवासी मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा गुलाब यादव पुत्र अज्ञात निवासी बाराखास थाना बारा जनपद प्रयागराज व गजेन्द्र गिरी पुत्र अज्ञात व्यक्ति को इम्तियाज अहमद सिद्दिकी बनाकर व इम्तियाज अहमद सिद्दिकी के नाम का कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड तैयार कराकर चन्द्रजीत यादव पुत्र मोहनलाल यादव के नाम रजिस्ट्री करा दिया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 40/25 धारा 319(1),318(1),336(1),338 बीएनएस पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 05.11.025 को उ0नि0 श्री वंश नारायण सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गजेन्द्र गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी हिन्दुपुरा करछना थाना करछना जनपद प्रयागराज को ग्राम छिवलहा संकटमोचन ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री वंश नारायण सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी दुर्गेश नंदन पटेल

3.आरक्षी बृजेन्द्र राय

(4). आज दिनांक 06.11.2025 को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह व आरक्षी शिवम द्विवेदी थाना साइबर टीम द्वारा श्री गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी चित्रकूट में साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरुकता कार्यक्रम के तहत सभी आमजन को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी जिसमें बचाव के प्रमुख बिन्दु निम्न है- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें । 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका सुनीता पुत्री छोटेलाल निवासिनी भुईधरी माफी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पति रामकिशोर द्वारा मारपीट कर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

(6). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.03.2024 को एक वादिया द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी थी कि मेरी बहन, चालीस हजार रुपये,बिछुवाचांदी का 500 ग्राम, पायल चांदी का 250 ग्राम, तीन लाकेट का माला सोने का,सोने का कान का सुई धागा लेकर शंकर पुत्र धर्मराज के साथ दो पहिया गाड़ी में बैठकर चली गयी,जिसको घर से निकलते वादिया के भाई ने देखा। इस सचूना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 100/2024 धारा 363,506 भादवि0 बनाम शंकर पुत्र धर्मराज पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अपहृता की बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 366ए व 376 भादवि0 की बढ़ोतरी की गयी ।
दिनांक 29.10.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त शंकर प्रसाद पटेल पुत्र धर्मराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज दिनाँक 06.11.025 को माननीय न्यायालय में पीडिता के बयानों के आधार पर विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह पटेल पुत्र बद्रीप्रसाद को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना मऊ
2.आरक्षी बृजेन्द्र राय